

दिनांक-25.7.2016 को जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी की अध्यक्षता में बाढ़-आपदा के मद्देनजर पथों के रख-रखाव के संबंध में हुई बैठक की कार्यवाही।

- (क) **उपस्थिति :-** उपस्थिति पंजी के अनुसार।
- (ख) **बैठक की कार्यवाही :-** जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी की अध्यक्षता में बाढ़-आपदा के मद्देनजर पथों के रख-रखाव के संबंध में बैठक हुई, जिसमें निम्नलिखित निर्देश दिए गये :-
- (1) कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मोतिहारी, चकिया, सिकरहना एवं पकड़ीदयाल बैठक से अनुपस्थित पाये गये। उनके स्थान पर उपस्थित सहायक अभियंता के द्वारा बताया गया कि वे निविदा से संबंधित कार्य से पटना गये हैं। मुख्य सचिव, बिहार, पटना एवं विभागीय निदेश के आलोक में कार्यपालक अभियंता को मुख्यालय छोड़ने की पूर्वानुमति अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त करना आवश्यक है परन्तु कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मोतिहारी जो चकिया के प्रभार में हैं तथा कार्यपालक अभियंता, सिकरहना जो पकड़ीदयाल के प्रभार में हैं, के द्वारा मुख्यालय छोड़ने की अनुमति अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त नहीं की गई है। उल्लेखनीय है कि कैसरिया एवं बंजरिया में बाढ़ के पानी से आवागमन प्रभावित होने की सूचना लगातार प्राप्त हो रही है। साथ ही, बाढ़ के कारण रोड कटने की भी सूचना है। ढाका-पकड़ीदयाल पथ में ग्रामीणों के द्वारा धान की रोपनी करने की सूचना प्राप्त हुई है। ऐसी परिस्थिति में कार्यपालक अभियंता के द्वारा बिना सूचना के मुख्यालय से अनुपस्थित रहना उनके कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को परिलक्षित करता है। अतः कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मोतिहारी एवं सिकरहना उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण 24 घंटे के भीतर अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। तत्काल दोनों कार्यपालक अभियंताओं का वेतन भुगतान स्थगित किया जाता है।
 - (2) संग्रामपुर प्रखंड से भी बाढ़ का पानी पथ पर आने की सूचना प्राप्त हुई है, जिससे आवागमन बाधित है। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरेराज को निदेश दिया गया कि तुरंत स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षात्मक एवं निरोधात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
 - (3) सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि वे लगातार क्षेत्र का निरीक्षण करें। यदि किसी पथ में कटाव होता है तो निरोधात्मक/मरम्मति की कार्रवाई शीघ्र करवाना सुनिश्चित करेंगे।
 - (4) अपर समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण को निदेश दिया गया कि सभी कार्यपालक अभियंताओं को बैठक प्रतिदिन संध्या 6:00 बजे करना सुनिश्चित करेंगे तथा बाढ़ से प्रभावित पथों की समीक्षा कर अद्यतन स्थिति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करावेंगे।
 - (5) अपर समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण को निदेश दिया गया कि वे निम्नलिखित पथों के संबंध में प्रतिवेदन प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को भेजना सुनिश्चित करेंगे :-
- (क) ढाका-पकड़ीदयाल पथ में ग्रामीणों द्वारा धान की रोपनी के संबंध में फोटायुक्त प्रतिवेदन।
- (ख) बंजरिया से जटवाघाट तक पथ की मरम्मती।
- (ग) जीवधारा से शंकर सरैया तक पथ की मरम्मती।
- (6) मोतिहारी-रक्सौल पथ की समीक्षा के संबंध में कार्यपालक अभियंता, एन०एच०ए०आई० के द्वारा बताया गया कि रामगढ़वा से सिकरहना पुल तक पथों का बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे सितम्बर, 2016 तक पूरा कर दिया जायेगा। आवागमन के दृष्टिकोण से उन्हें यह कार्य शीघ्र पूरा कराने का निदेश दिया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

हस्ताक्षर-

जिलाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञाप संख्या-1683/गो० मोतिहारी, दिनांक- 28वीं जुलाई, 2016

प्रतिलिपि- अपर समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, मोतिहारी/कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पूर्वी चम्पारण/कार्यपालक अभियंता, एन०एच०ए०आई०, मोतिहारी/कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मोतिहारी/सभी संबंधित अभियंता/पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हस्ताक्षर-
जिलाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

प्रतिलिपि—
प्रतिलिपि—

ज्ञाप संख्या— 1683 गो0 मोतिहारी, दिनांक— 28 वीं जुलाई, 2016

आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना एवं प्रभारी सचिव, जिला पूर्वी चम्पारण को सादर सूचनार्थ प्रेषित।



28/7/16
जिलाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।